

बिहार विधान परिषद के 166वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

<p>श्री गणेश भारती, मा० स०वि०प० द्वारा 166वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०—आर०आर०—०२ के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>तारांकित प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मुहल्ला—कौशल नगर, वार्ड नं०—९ में वर्ष 2010 में भारी संख्या में गरीबों को झोपड़ी जल कर राख हो गई;</p>	<p>स्वीकारात्मक।</p>
<p>(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ गरीबों को मुआवजा दिया गया, लेकिन अधिकांश गरीब मुआवजे से अबतक वंचित है;</p>	<p>दिनांक—20.04.10 को कौशल नगर झोपड़पट्टी के कुल 22 (बाईस) परिवारों को नगद दो हजार दो सौ पचास रुपया प्रति परिवार एवं एक—एक विवंटल प्रति परिवार अनाज वितरण किया गया तथा दिनांक—24.03.11 को कौशल नगर हवाईअड्डा में ही अग्नि पीड़ित परिवारों (कुल 44) को एक—एक विवंटल अनाज एवं दो हजार दो सौ पचास रुपये प्रति परिवार को मुआवजा दिया गया है। कोई अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्ति राहत से वंचित नहीं रहा है।</p> <p style="text-align: right;">अनुदार</p>
<p>(ग) क्या यह सही है कि उक्त मुहल्ले के गरीबों को इन्दिरा आवास आवंटित करने की अनुशंसा सरकार द्वारा की गई फिर भी श्री राजू कुमार, पिता—श्री रामअयोध्या महतो, राजेश कुमार, शशि कुमार, पिता—कैलाश राम, दीपक कुमार, पिता—राजकुमार राम एवं ऐसे अन्य असहाय लोग इन्दिरा आवास से अबतक वंचित हैं;</p>	<p>अग्नि पीड़ित परिवारों की सूची में इनका नाम अंकित नहीं है। इस काण्ड में कोई भी प्रभावित व्यक्ति राहत से वंचित नहीं है।</p>
<p>(घ) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त लोगों के अलावे ऐसे बचे गरीब वंचित लोगों को पर्याप्त मुआवजा एवं इन्दिरा आवास अविलम्ब उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक?</p>	<p>शहरी क्षेत्र होने के कारण इन्दिरा आवास का कोई प्रावधान नहीं है।</p>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / बिनियोपयोग-05 / 2010 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -4806(5) दि०-3.12.2012 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सचिवानन्द चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04 / बिनियोपयोग-05 / 2010 / 4980 / आ०प्र०, पटना-15, दि०-17/12/12

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


12-12-12

सरकार के अवर सचिव